HARYANA RAJ BHAWAN

The 18th July, 1997

No HRB-UA-17(1)(1)-87-97/3951.— In exercise of the powers conferred by Statute 10 (1) (II) (g) of Schedule to the Kurukshetra University Act, 1986, the Chancellor of Kurukshetra University is pleased to nominate Prof. Ram Kumar Tripathi, former Vice-Chancellor, Visheshwar Ashram, Akbarpur, District Amedkarnagar-2241122 (U. P.) in place of Dr. T. R. Juneja, Professor of Pharmaceutical Chemistry, Panjab University, Chandigarh as member of the Executive Council of the said University, for a period of two years with immediate effect.

No. HRB-UA-21(1)(1)-97/3935.—In exercise of the powers conferred by item No. (xi) of sub-clause (b) of Clause (1) of Statute 9 of the Schedule to the Maharshi Dayanand University Act, 1975, the Chancellor of Maharishi Dayanand University is pleased to nominate the following persons as members of the Court of the said University, for a period of three years with immediate effect :—

1. Shri Suryakant Sharma,
   Advocate, Punjab and Haryana High Court,
   Kothi No. 119, Sector-10-A, Chandigarh.

2. Shri Sudhakar Prasad Ram Tripathi,
   Tripathi Sadan,
   265, Rajouri Apartments,
   S. F. S. Rajouri Garden,
   New Delhi-110064.

3. Dr. A. K. Singh,
   Consultant and Professor of Orthopaedics,
   Safderjang Hospital,
   New Delhi-110029.

No HRB-UA-21(3)(1)-97/3944.—In exercise of the powers conferred by item No. (viii) of sub-clause (b) of Clause (1) of Statute 11 of the Schedule to the Maharshi Dayanand University Act, 1975, the Hon'ble Chancellor of the Maharshi Dayanand University is pleased to nominate Dr. M. P. Sharma, Professor of Gastroenterology, All India Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi-110029 in place of Professor Gurdev Singh Gosal, Dean, College Devleopment Council, Panjab University, and Honorary Director, ICSSR North Western Regional Centre, Chandigarh (Retd.) as a member of the Executive Council of the said University, for a period of two years with immediate effect.

MANIK SONAWANE,

Secretary to Governor, Haryana and to
Chancellor, Kurukshetra University.

DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

Order

The 17th April, 1997

No. 1416-2 ECD-I-97/1786.—The Governor of Haryana is pleased to retire Shri J. D. Sanduja, Block Development and Panchayat Officer, Hissar-I from Government service with effect from 30th April, 1997 (A.N.) on attaining the age of superannuation i.e. 58 years.

MEENAXI ANAND CHAUDHRY,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Development and Panchayat Department.

LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

The 22nd/25th April, 1997

No. 2/86/91-2 Lab.—In the Haryana Government Labour and Employment Department notification No. 2/86/91-2 Lab., dated the 17th April, 1995, the entry appearing against serial No. I under the head 'Official Members' shall be *read* as Labour and Employment Minister in place of Minister of

State for Labour and Employment Haryana and in place of Financial Commissioner and Secretary to Government Haryana Labour and Employment the word Commissioner and Secretary to Government Haryana Labour and Employment may be treated to have *read* inserted with immediate effect.

KAMLA CHAUDHRI,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.

REVENUE DEPARTMENT

Order

The 23rd May, 1997

No. 727-AR-IV-97/9734.—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 14 of the East Punjab Utilisation of Lands Act, 1949 and in supersession of Haryana Government Revenue Department order No. 1594-AR-IV-96/15001, dated the 26th July, 1996, the Governor of Haryana hereby authorises Shri K. G. Varma, IAS, Financial Commissioner Revenue Haryana to hear and decide cases instituted under the said sub-section of the Act *ibid.*

R. S. VARMA,

First Financial Commissioner and Chief Secretary to
Government, Haryana.

AGRICULTURE DEPARTMENT

The 2nd July, 1997

No. 2451-Agri.I(I)-97/13485.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Article 98 of the Article of Association and clauses, (a) (c) and (d) of Article 99 of the Article of Association of the Haryana Agro Industries Corporation and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased :—

(i) to remove Smt. Sudha Sharma, I.A.S. and appoint Shri Ram Niwas, I.A.S. Joint Secretary Finance, Haryana, as Director;

(ii) to remove Shri Sandeep Garg, I.A.S. and appoint Shri K. K. Jalar, I.A.S., Joint Secretary, Agriculture, Haryana as Director;

(iii) to remove Smt. Shakuntla Jakhu, I.A.S., and appoint Shri M. Ramsekhar, I.A.S., Managing Director, Haryana Agro Industries Corporation, as Director.

NASEEM AHMAD,

Chandigarh, dated,

the 24th June, 1997.

Commissioner and Secretary to Governmert. Haryana,
Agriculture Department.

ENVIRONMENT DEPARTMENT

The 30th June, 1997

No. 2/X/90-Env.(1).— In exercise of powers conferred by Section 4(2)(a) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased to appoint Shri R. A. Goel, Engineer-in-Chief (Retired), P.W.D., B & R, Haryana as Chairman, Haryana State Pollution Control Board for a period of three years. He will asume the charge of the said post with effect from 8th July, 1997. Shri R. A. Goel shall hold this post as part-time Chairman. The terms and conditions of his appointment will be issued separately.

M. L. TAYAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Environment Department.

INDUSTRIES DEPARTMENT

The 23rd June, 1997

No. 44/3/97-11BI.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 293 of the Constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana is pleased to authorise

Shri Ram Karan Sharma, Joint Director O/o Director of Industries, Haryana to sign the deed of guraantee on behalf of the State Government Haryana in favour of Small Industries Development Bank of India for the amourt of Rs. 20 Crore, loans raised by Haryana State Industrial Development Corporation.

M. L. TAYAL,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Industries Department.

वित्त विभाग

(वित्तीय)

दिनांक 16 जून, 1997

संख्या 2/2/94-3एफ.आर.II.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इस के द्वारा, पंजाब खजाना नियम, जिल्द I को हरियाणा राज्यार्थ आगे संशोधित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब खजाना जिल्द I (हरियाणा प्रथम संशोधन) नियम, 1997, कहे जा सकते हैं।

2. पंजाब खजाना नियम, जिल्द I (जिन्हें इस में इसके बाद उक्त नियम कहा गया है में, अध्याय I में, अनुभाग I में, खण्ड क में, उपखण्ड (viii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(III) "सव्यवहार की निकटतम रूपये में संगणना।"

3. उक्त नियमों में, नियम 4.10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4.10 एक रुपये के भागांश वाले सभी सरकारी संव्यवहार रुपये का निकटतम पूर्णांकन करते हुये लेखा में लिये जायेंगे 50 पैसे और अधिक भागांश को अगले रुपये को पूर्णांकित करना है तथा 50 पैसे से कम भागांश को छोड़ दिया जायेगा।

(1) वेतन तथा भत्ते, पेंशन अथवा यात्रा भत्ते बिल में प्रत्येक अलग-अलग मद का सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को भुगतान तथा से वसूलियां, इस नियम में दी गई रीति में, निकटतम रुपये में पूर्णांकित करते हुये की जायेंगी, परन्तु :—

(क) परिनियम द्वारा नियम परिलब्धियों की दशा में, 5 पैसे से कम रुपये के भागांश वाली राशि भी निकटतम रुपये में पूर्णांकित की जायेंगी।

(ख) भविष्य निधि तथा कर्मचारी जीवन बीमा प्रीमियम से भिन्न सेवा के मद्दे कटौतियों की दशा में, इस नियम के उपबन्धों के अनुसार किसी वर्ष प्रथम ग्यारह महीनों के दौरान सरकारी कर्मचारी से की गई कुल वसूलियों तथा निधियों इत्यादि को लागू नियमों के अधीन समग्र रूप से वर्ष के संबंध में वसूली योग्य राशि के बीच अन्तर, यदि कोई हो, अतिरिक्त अथवा अल्प वसूली द्वारा जैसी भी स्थिति हो, की जायेगी, यद्यपि वह निकटतम पूर्ण रुपये में नहीं है।

(ग) यात्रा भत्ता बिलों की दशा में, पूर्णांकन केवल अन्तिम स्तर पर किया जायेगा न कि किसी व्यक्ति के दावे में समाविष्ट प्रत्येक मद्द अर्थात् रेलवे किराया, मील दूरी, तथा दैनिक भत्ता के संबंध में।

(घ) स्थानीय खरीदों के लिये छोटे-मोटे नकद भुगतान, कार्यालय अध्यक्ष के पास उपलब्ध स्थायी नकद अग्रदाय में से किए जाते हैं और अग्रदाय की आपूर्ति के लिये उप वाउचरों द्वारा (जहां आवश्यक हो) सम्यक् रुप से प्रमाणित प्रतिपूर्ति बिल सम्बद्ध खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी को नियत काल पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, यथासंभव, सप्लाईकर्ता को प्रत्येक अवसर पर उनको भुगतान योग्य राशी को निकटतम रुपे में पूर्णांकित करने में सहयोग कर

के लिये मनाना चाहिये। आपवादित मामलों में, जहां भुगतान पैसे का छोड़ा ना जा सकता हो, वहां प्रतिपूर्ति के लिये चाहे गए उप वाउचरों के कुल जोड़ में पैसे भी शामिल होंगे। फिर भी, प्रतिपूर्ति बिल सम्बद्ध खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी को केवल पूर्ण रूपये के भाग के लिये प्रस्तुत किया जायेगा। तथापि, मुख्य पुस्तक तथा छोटी-मोटी नकद पुस्तक में संव्यवहारों को संतुलित करने के प्रयोजन के लिये, अदान तथा वितरण अधिकारी,—

(क) स्थायी पेशगी की प्रतिपूर्ति में प्राप्त वास्तविक राशि दर्शाना,

(ख) "संव्यवहारों का पूर्णांकन" की एक मद के रूप में अप्रतिपूरित पैसे को अभिलिखित करेगा,

(ग) उस बिल के विवरणों को देते हुये जिसमें यह राशि कम प्राप्त की गई थी पश्चातवर्ती प्रतिपूर्ति बिल के माध्यम से दावा करने के लिये आगे ले जायेगा,

(ङ) रद्दी कागजों अथवा पुराने समाचार पत्रों, नियतकालित पत्रिकाओं, बेकार फर्नीचर इत्यादि, की बिक्री से होने वाली प्राप्तियों की दशा में, वसूल की जाने वाली राशियों को निकटतम रूपये में पूर्णांकित की जानी चाहिये तथा किसी पक्षकार से संव्यवहारों की कुल राशि में, जिसके लिये केवल एकल रसीद दी दी जाती है, पैसे शामिल नही होने चाहियें, ताकि सरकारी लेखों में प्राप्तियां केवल पूर्ण रुपयों में ही जमा की जाएं,

(2) एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच अथवा उसी सरकार के दो विभाग के बीच संव्यवहार, जब तक मूल संव्यवहारों से हटाना संभव न हो, एक रुपए का भागांश जो वास्तव में पूर्ण रुपया नही है,

(3) स्टर्लिंग अन्य विदेशी मुद्राओं से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित राशि,

(4) आकस्मिक और अन्य प्रभारों के संबंध में दावों के लिये भुगतान, जब दावेदारों को कोई आपत्ति न हो परन्तु निकटतम रुपए में एक रुपये के भागांश का पूर्णांकन, किसी बिल पर, केवल भुगतान योग्य निवल राशि के संबंध में किया जायेगा न कि बिल में दावों या समायोजन की अलग-अलग मदों के संबंध में,

(5) किसी विधि द्वारा या के अधीन अथवा सरकार की किसी संविदात्मक बाध्यता के अधीन नियत देयों का प्रतिनिधित्व करने वाली राशियों से भिन्न, रिजर्व बैंक के प्रेषण,

(6) किसी विधि द्वारा या के अधीन नियत या इस नियम के प्रवर्तन से सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट प्राप्त से भिन्न, सरकार के पक्ष में निक्षेप तथा वसूल किये गये राजस्व,

(7) दिनांक 1 जनवरी, 1996 से पूर्व जारी किये गये परन्तु 1 जनवरी, 1996 के बाद भुगतान के लिये प्रस्तुत किये गये आंशिक भुगतान के चेक, मूल चेकों की राशि के स्थान पर गुम/कालवर्जित चैकों के स्थान पर, जारी किए जाने के लिये अपेक्षित नए चैक तथा उसी रूप में भुनाने के लिये बैंक में प्रस्तुत किए जायें,

(8) पूर्व वर्षों के लेखों में शीर्ष "पी.ए.ओ. उच्चन्त" तथा अन्य निक्षेप ऋण तथा प्रेक्षण इत्यादि, के अधीन संगणित आंशिक संव्यवहारों का समायोजन/समाशोधन, पूर्णांकित किए बिना वास्तविक आधार पर प्रभावित किया जा सकता है,

(9) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "पूर्ण घोषित" रिपोर्ट किये गये पूर्व वर्षों के संव्वहार ही केवल जवाबी हैं तथा वास्तविक आधार पर लेखों में समायोजित किये जायें,

(10) पूर्व वर्ष के गलत संव्वहारों की परिशुद्धि वास्तविक आधार पर की जाएंगी "।

(11) यह अधिसूचना दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू समझी जाए।

ए० एन० माथुर,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।